(158)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1805—एक/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—10—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 438/अपील/2006—07.

.....

1—रामसजीवन
2—छोटेलाल
3—चुनका उर्फ रामाधार
पुत्रगण रामगरीब कहार
निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—गंगाप्रसाद तनय रामप्रसाद कहार
2- विहारीलाल तनय विशेषर कहार
3—जगदीश प्रसाद तनय विशेष कहार
निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क0—1, 3
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—10—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तेदून के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से उभयपक्षों को सूचना –पत्र दिये गये तत्पश्चात अनावेदक का नाम खसरा के कॉलम न0 12 दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 12.01.07 से स्वीकार की गई, तत्पश्चात द्वितीय अपील अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो पारित आदेश दिनांक 15.10.07 से स्वीकार हुई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को उठाया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मैमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालयों के आदेश प्रस्तुत कर बताया गया है कि अनावेदकगण के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है इसलिये राजस्व न्यायालय पर यह आदेश बंधनकारी है।

4– आवेदक अधिवक्ता ने तर्को में बताया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण में आदेश विधिवत रूप से पारित नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकरी सिरमौर द्वारा पारित आदेश में माना गया था कि कब्जा संहिता की धारा 115, 116 के तहत नहीं लिखा जा सकता है इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। अतः आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं प्रकिया के अनुसार आदेश पारित किया गया था। संहिता में कब्जा लिखे जाने का प्रावधान है, चूंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 सिरमौर जिला रीवा के समक्ष व्यवाहर वाद कमांक 126ए/2008 प्रस्तुत किया गया था जो पारित आदेश दिनांक 24.08.2009 से निरस्त किया गया है, तत्पश्चात अपील अतिरिक्त चतुर्थ न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय में अपील कमांक 34/2009 प्रस्तुत की गई थी, जो पारित आदेश दिनांक 29.04.2015 से निरस्त की गई है। ऐसी स्थिति में व्यवाहार न्यायालय के आदेशों के परिपेक्ष्य में वर्तमान निगरानी विचार योग्य ही नहीं है। अतः निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्षों के अधिवक्तागण के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उभयपक्षों को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करतै हुये संहिता की धारा 121 के नियम 6, 7, 8 तथा धारा 41 के नियम 1 धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र की विधिवत जांच मौके पर कराकर कब्जा दर्ज करने का आदेश यिा है। यह कार्यवाही प्रस्तुत साक्ष्य एवं पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट होती है, ऐसे विधिवत आदेश के विरूद्व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित करके विधि के अनुसार अपने निष्कर्ष दिये है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 सिरमौर जिला रीवा के समक्ष व्यवाहर वाद कमांक 126ए/2008 प्रसतुत किया गया था जो पारित आदेश दिनांक 24.8.09 से निरस्त किया गया है, तत्पश्चात् अपील अतिरिक्त चतुर्थ न्यायाधीश रीवा के न्यायाल में अपील कमांक 34/09 प्रस्तुत की गई थी, जो पारित आदेश दिनांक 29.4.15 से निरस्त की गई है। ऐसी स्थिति में व्यवहार के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होने से वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 438/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 15.10.07 स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर